

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1339] No. 1339] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016 ∕ज्येष्ठ 11, 1938 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2016

का.आ. 1932(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 408 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाती है या की जाएं, का 1 जून, 2016 से गठन करती है।

[फा. सं. ए-45011/14/2016- प्रशा. IV]

प्रीतम सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2016

S.O. 1932(E).—In exercise of the powers conferred by section 408 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby constitutes the National Company Law Tribunal to exercise and discharge the powers and functions as are, or may be, conferred on it by or under the said Act with effect from the 1st day of June, 2016.

[F. No. A-45011/14/2016-Ad. IV]

PRITAM SINGH, Addl. Secy.

2779 GI/2016 (1)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2016

का.आ. 1933(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 410 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए, 1 जून, 2016 से राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण का गठन करती है।

[फा. सं. ए-45011/14/2016- प्रशा. IV]

प्रीतम सिंह. अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2016

S.O. 1933(E).—In exercise of the powers conferred by section 410 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby constitutes the National Company Law Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders of the National Company Law Tribunal with effect from the 1st day of June, 2016.

[F. No. A-45011/14/2016-Ad. IV]

PRITAM SINGH, Addl. Secy.